सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 597 राँची, गुरूवार, 19 सितम्बर, 2024 (ई०)

परिवहन आयुक्त कार्यालय

आदेश

11 सितम्बर, 2024

आ.सं.-परि.वि.(विधि.)-46/2018-1211--सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य भर में एचएसआरपी पंजीकरण प्लेटों की स्थापना के लिए Vendor को शामिल करने के लिए वर्ष 2011-2012 के दौरान हुई निविदा में मेसर्स एग्रोस इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया था। वर्ष 2012 में एकरारनामा करने के बाद एक माह के उपरांत एकरारनामे के नियमों का अनुपालन न करने के लिए मेसर्स एग्रोस इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया एकरारनामा तत्काल प्रभाव से दिनांक-13.08.2012 को निरस्त कर दिया गया तथा दिनांक-04.09.2012 को मेसर्स एग्रोस इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड Blacklist कर दिया गया। तदोपरांत 31.03.2016 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Blacklist को रद्द किया गया। यह मामला माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया। विवाचक न्यायालय द्वारा दिनांक-30.04.2018 को निदेशित किया गया कि Arbitration Clause invoke करते हुए यह कहा गया कि आपसी सहमति से दोनों पक्ष एक निर्णय पर पहुँचे तथा यह मतभेद को समाप्त करें ।

I. मेसर्स एग्रोस इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निम्न प्रस्ताव दिया गया है :-

(क) **नामांकन :** मेसर्स एग्रोस को 01 अप्रैल 2019 से पहले झारखण्ड में पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी पंजीकरण प्लेट लगाने के लिए 03 साल की अवधि के लिए Vendor के रूप में नामित किया जाएगा ।

(ख) **बुनियादी :** मेसर्स एग्रोर्स अपने स्वयं के खर्च पर एचएसआरपी के उभार, हॉट स्टैम्पिंग और लगाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना करेगा, जिसके लिए परिवहन विभाग किसी प्रकार का बुनियादी ढ़ाँचा उपलब्ध नहीं करायेगी ।

(ग) **ऑनलाईन पोर्टल :** मेसर्स एग्रोर्स वाहन मालिकों के लिए एचएसआरपी ऑर्डर बुक करने, भुगतान करने और लगाने के लिए अपॉइंटमेंट निर्धारित करने हेतु एक ऑनलाईन पोर्टल विकसित करेगा ।

(घ) **जिला कवरेज :** मेसर्स एग्रोर्स सभी जिलों में फिटमेंट सुविधाए प्रदान करने के लिए वाहन डीलरों और स्वतंत्र सर्विसिंग स्टेशनों के साथ सहयोग कर सकता है ।

(ड.) **वाहन पोर्टल तक पहुंच :** राज्य सरकार मेसर्स एग्रोस को वाहन और एचएसआरपी विवरण को अद्यतन करने लिए वाहन पोर्टल पर लॉगिन (निर्धारित अवधि के लिए) प्रदान करेगी ।

(च) **मासिक एमआईएस :** मेसर्स एग्रोर्स एचएसआरपी स्थापना के संबंध में एक विस्तृत मासिक सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। प्रारूप पर दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की जाएगी ।

(छ) **सार्वजनिक अधिसूचना :** राज्य एचएसआरपी स्थापना समय और प्रक्रिया के बारे में जनता को सूचित करने के लिए एक पत्र अधिसूचना जारी करेगा ।

(ज) **जागरूकता और प्रवर्तन :** राज्य एमवीआई और यातायात पुलिस को एचएसआरपी के बारे में जागरूकता फेलाने और एमवी अधिनियम 1988 की धारा 192 के अनुसार गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना/दण्ड जारी करने का निर्देश देगा ।

(झ) **शुल्क विनियमन :** मेसर्स एग्रोर्स प्रत्येक श्रेणी के वाहनों के अंतर्गत एचएसआरपी स्थापना के लिए न्यूनतम शुल्क लेगा, यह शुल्क विभिन्न श्रेणी के वाहनो के लिए अन्य राज्यों में अपनाई जा रही बाजार दरों के संबंध में न्यूनतम होना चाहिए ।

II. अतः उक्त प्राप्त प्रस्तावित बिन्दुओं के आलोक में मेसर्स एग्रोस इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निम्न नियम एवं शर्तों के अनुरूप एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-RT-11036/99/2020-MVL, दिनांक-09.06.2023 में अंकित दिशा- निर्देश की कण्डिका-4 b के आलोक में पुराने वाहनों पर HSRP लगाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

1- पुराने वाहनों पर तीसरे पंजीकरण चिन्ह सहित एचएसआरपी लगाने का काम मेसर्स एग्रोस द्वारा किया जाएगा। मेसर्स एग्रोस को 01 अप्रैल 2019 से पहले झारखण्ड में पंजीकृत वाहनों पर 3 साल की अवधि के लिए एचएसआरपी पंजीकरण प्लेट लगाना है।

2- मेसर्स एग्रोस जीएसआर S.O.6052(E) दिनांक-06.12.2018 के तहत आदेश के क्रम संख्या-06 के तहत विस्तृत सभी विनिर्देशों का अनुपालन करेगा ।

3- वाहन मालिक को HSRP लगवाने के लिए बुकिंग करानी होगी और इसके लिए भुगतान मेसर्स एग्रोस द्वारा अधिकृत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से करना होगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और वाहन मालिकों से अतिरिक्त शुल्क वसुलने से बचा जा सके। पोर्टल मेसर्स एग्रोस द्वारा अधिकृत होगा। पोर्टल वाहन मालिक को अपनी सुविधा के अनुसार मेसर्स एग्रोस के किसी भी डीलर/संबद्ध इकाई स्थान और HSRP लगवाने की तिथि चुनने की सुविधा प्रदान करेगा ।

4- मेसर्स एग्रोस वाहन मालिकों के लिए HSRP ऑर्डर बुक करने भुगतान करने और लगाने के लिए अपॉइंटमेन्ट शेडयूल करने के लिए एक ऑनलाईन पोर्टल विकसित करेगा। HSRP पोर्टल में वाहन मालिक को SMS के जरिए HSRP लगाने के लिए दिए गए ऑर्डर की स्थिति के बारे में सूचित करना की क्षमता होगी ।

5- मेसर्स एग्रोस को अपने प्रतिश्ठान में एक प्रमुख स्थान पर एक बोर्ड प्रदर्शित करना होगा, जिसमें एचएसआरपी लगाने के लिए वाहन मालिक द्वारा भुगतान किए जाने वाले शुल्कों का उल्लेख होगा तथा हर समय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एचएसआरपी पोर्टल पर भी इसकी जानकारी देनी होगी ।

6- मेसर्स एग्रोस वाहन मालिकों को एचएसआरपी लगाने के लिए वाहन मालिक की इच्छा के अधीन अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके सेवाएं प्रदान कर सकता है, जहां मालिक रहता है या उसका व्यवसाय स्थान है ।

7- मेसर्स एग्रोस सभी जिलों में फिटमेंट सुविधाएं प्रदान करने के लिए वाहन डीलरों और अधिकृत सर्विसिंग स्टेशनों के साथ सहयोग कर सकता है ।

8- मेसर्स एग्रोस या उसके अधिकृत वाहन डीलर/अधिकृत सर्विसिंग स्टेशन वाहन पर एचएसआरपी चिपकाने के बाद यह सुनिश्चित करेंगे कि लेजर कोड वाहन पोर्टल में अपडेट हो ।

9- जिन वाहनों के पास वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं है और जिन वाहनों पर कर बकाया है, उन्हें एचएसआरपी लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेसर्स एग्रोस अपने पोर्टल को तदनुसार अनुकूलित करेंगे ।

10- किसी भी मौजूदा पंजीकरण प्लेट की विक्रेता और उसके अधिकृत डीलरों द्वारा केवल तभी प्रतिस्थापित किया जा सकता है जब यह सुनिश्चित कर लिए जाए कि पुरानी प्लेट को वापस कर दिया गया है और नष्ट कर दिया गया है ।

11- मेसर्स एग्रोर्स अपने स्वयं के खर्च पर एचएसआरपी के उभार, हॉट स्टैम्पिंग और लगाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना करेगा, जिसके लिए परिवहन विभाग द्वारा किसी प्रकार का बुनियादी ढ़ाँचा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा ।

12- **विभिन्न श्रेणी के पुराने वाहनों में HSRP अधिशठापन के लिए प्रस्तावित की गई मुल्य दर :-**

क्र.सं.	**वाहन श्रेणी**	**लागत**
1.	02 पहिया	300
2.	03 पहिया	340
3.	04 पहिया	540
4.	ट्रेक्टर	320
5.	एच.एम.वी.	570

- **विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए अधिकतम दर, लागू करों को छोड़कर।**

13. कार्यकाल की अवधि :

झारखण्ड राज्य में मौजूदा वाहनों के लिए HSRP स्थापना के कार्यान्वयन के लिए इकाई के रूप में मेसर्स एग्रोस इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नामांकन की अवधि 03 वर्ष तक की होगी। 30 अप्रैल, 2012 के अनुबंध के लिए दोनों पक्षों के बीच लागू की जा रही मध्यस्थता के संबंध में इस अनुबंध अवधि के पूरा होने के बाद परिवहन विभाग के पास मेसर्स एग्रोस इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रति कोई देनदारी/दावा नहीं होगी। परिवहन विभाग HSRP लगाने के नियमों का अनुपालन नहीं करने पर कभी भी अनुबंध समाप्त कर सकेगी।

तदालोक में दिनांक-01.04.2019 के पूर्व निबंधित वाहनों में HSRP अधिष्ठापन हेतु मेसर्स एग्रोस इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, B-6/2, Electronic Estate, GIDC, Sector-25, Gandhinagar-382024 को प्राधिकृत किया जाता है।

14. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति परिवहन विभाग के संलेख ज्ञापांक-1197, दिनांक-06.09.2024 के क्रम में दिनांक-06.09.2024 की बैठक में मद संख्या-45 के रूप में दी गयी है ।

कृपा नन्द झा,
परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 597 - 50